

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य – दिनांक 08.04.2021

थाना खुटार पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़,

भारी मात्रा में निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध असलहा व असलहा बनाने के उपकरणों सहित

शातिर अभियुक्त रामौतार उर्फ कालिया को किया गिरफ्तार ।

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दृष्टिगत श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे प्रभावी अभियान में श्री संजीव कुमार बाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री नवनीत कुमार क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष खुटार के कुशल नेतृत्व में थाना खुटार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली ।

दिनांक 07/04/2021 को थाना खुटार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर शातिर अपराधी/हिस्ट्रीशीटर **रामौतार उर्फ कालिया पुत्र श्रीराम शुक्ला निवासी मोहल्ला देवस्थान कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर को कस्बा खुटार से उसके घर के पास स्थित बाउण्ड्रीवाल में अवैध शस्त्र निर्माण** करते समय अवैध शस्त्र फैक्ट्री सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना खुटार पर मु0अ0स0 144/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

अपराध का तरीका व कार्यक्षेत्र-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा मूलतः थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी का निवासी है। **प्रारम्भ में अभियुक्त जंगल में लकड़ी चोरी व लूट व राहजनी की घटनाएँ करता था।** अभियुक्त की उसके क्षेत्र में इतनी दहशत थी कि कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता था। जंगल की कीमती लकड़ी चोरी करते समय हैदराबाद पुलिस द्वारा प्रथम बार वर्ष 1992 में पहली बार पकड़ा गया, उसके बाद इसके द्वारा हत्या व डकैती जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दिया गया। हैदराबाद पुलिस की नजर में आने के बाद अभियुक्त ने अपना ठिकाना बदल दिया तथा लगभग 40 वर्ष पहले खुटार में मकान खरीद कर रहने लगा जहाँ पर पुनः डकैती के दौरान एक ही परिवार के 03 लोगों की हत्या कर दी । हत्या / डकैती के मुकदमे में विगत 04 वर्षों पहले हाई कोर्ट से पैरोल पर छूटा उसके बाद अपने शातिराना हरकतों के चलते गन हाउस पर दिखावे के लिये नौकरी करने लगा तथा इसी की आड़ में घर पर अवैध असलहा फैक्ट्री का संचालन करने लगा तथा जनपद लखीमपुर खीरी, पीलीभीत व बरेली में ग्राहकों को 02 हजार से 05 हजार रुपये में तमंचा बेचने लगा। जनपद शाहजहाँपुर में तमंचा इसलिए नहीं बेचता था कि ताकि पकड़ा ना जा सके । घर पर पुलिस को गुमराह करने के लिये बढईगिरी का काम भी करने लगा । उल्लेखनीय है कि दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी अभियुक्त के पास से एक अदद गैस का चुल्हा बरामद हुआ है जिस पर अभियुक्त द्वारा हीटर के ऐलिमेंट लगाकर इलैक्ट्रिक भट्टी तैयार किया गया जिससे नये तरीके से बिना कोयला के भी शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-रामौतार उर्फ कालिया पुत्र श्रीराम शुक्ला निवासी ग्राम भदईया ग्रन्ट लंदनपुर थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी हाल पता मोहल्ला देवस्थान कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1- 02 अदद तमंचा 315 बोर 2- 01 बंदूक 12 बोर, 3- 01 तमंचा 32 बोर अर्द्धनिर्मित 4- एक देशी रिवाल्वर (रिपयेरिंग हेतु)

5- एक अदद तमंचा 12 बोर अर्द्धनिर्मित 6- 2 अदद तमंचा 315 अर्द्धनिर्मित

7- एक स्टील का गैस चुल्हा जिनके दोनों स्थानों पर हीटर की प्लेटें मय रिप्रिंग (ऐलिमेंट)

8- शस्त्र बनाने के उपकरण (एक लोहे की सुराख, ग्रिल मशीन तीन रेती वड़ी तथा ग्यारह रेती छोटी लोहे की व 09 शुम्भी छोटी वड़ी लोहे की व छोटे वड़े दो पिलास तथा एक कौआ रिन्च तीन पेचकस छोटे वड़े व लोहा काटने वाले दो छोटी व वड़ी आरी लोहे की तथा दो छोटी हथौड़ी लोहे की एक वर्मा लोहे का तथा 21 छोटी छडे व पांच लोहे की छोटी रिप्रिंग दो रेगमार्क के छोटे टुकड़े आदि)

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 144/21 धारा 3/5/25 A.Act थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 216/2000 धारा 394/302 IPC थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
3. 51/97 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना हैदराबाद जनपद खीरी
4. मु0अ0स0 44/97 धारा 379/411 IPC व 26 F.Act थाना हैदराबाद जनपद खीरी
5. मु0अ0स0 45/92 धारा 379/411 IPC व 26 F.Act थाना हैदराबाद जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुर।
- 2- उ0नि0 श्री रामायण सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री रामानन्द मिश्रा थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
4. हे0का0 यशपाल सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
5. हे0का0 विजय प्रताप सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
6. का0 मोनी कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।